

# न्यायालय नायब तहसीलदार प्रथम / द्वितीय अजमेर

राजस्व मुकदमा संख्या ...50/2017

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व

अधिनियम, 1956

सरकार जरिए पटवारी हल्का लाडपुरा बनाम

श्री लक्ष्मणसिंह & 10 दितरसिंह  
कोस रावत  
निं. लाडपुरा

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडपुरा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम लाडपुरा खसरा नं. 1442 रकबा 0.16 किस्म बीड चरागाह सिवायचक है, पर सम्वत 2073 में अतिक्रमण कर रबी / खरीफ में फसल पक्का निर्माण बो दी है। घास / बाड़ा / मकान या अन्य तरीके से अनाधिकृत कब्जा कर लिया है।

पटवारी रिपोर्ट से आश्वस्त होकर विपक्षी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 90 ए. एवं 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस की गई। विपक्षी बावजूद नोटिस पर हाजिर / गैरहाजिर आया। इसलिए प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार / अस्वीकार किया। बचाव पक्ष में किसी तरह की शहादत पेश नहीं की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक श्री डोल को फसल की निलामी / निर्माण कार्य जब्त सरकार कर फर्द पेश करेंगे एवं दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 2 का 50 गुणा 100/- का शास्ति रुपया 200 रुपये कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को कायमी व पटवारी को कायमी बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग की राशि 100/-  
रा.ले.सं.-4 वर्ष 2017-2018 के पृष्ठ सं. 11 पर इन्द्राज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार  
अजमेर

नायब तहसीलदार प्रथम / द्वितीय  
अजमेर